प्रेस नोट

थाना कोईरौना

जनपद भदोही

दिनांक: 05/08/2026

थाना कोइरौना पु लस द्वारा वादिनि की नाबा लग पुत्री के साथ गलत काम करने पर संबं धत संगीन धाराओं में वांछित अ भयुक्त गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

दिनांक 03.08.2026 को थाना कोईरौना अंतर्गत नाबा लग के साथ जघन्य अपराध करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में वादिनी (पी ड़ता की माँ) की तहरीर के आधार पर थाना कोईरौना में मुकदमा अपराध संख्या 148/26, धारा 65(1)/351(3) बीएनएस-2023 व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर व धक कार्यवाही प्रच लत की गई।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत और श्री शुभम अग्रवाल, अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04/08/2026 को थाना कोइरौना पु लस टीम द्वारा क्षेत्र देखभाल और वांछित अपरा धयों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर नाबा लग के साथ जघन्य अपराध करने का वांछित अ भयुक्त को सीतामढ़ी गेट के पास टेम्पू स्टैंड से गरफ्तार कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का नाम व पता:-*

 शवबहादुर उर्फ टुनटुन पुत्र जगत कुमार निषाद उर्फ अंसारी, निवासी गोपालापुर क लंजरा, थाना: कोईरौना, जनपद: भदोही उम्र 18 वर्ष।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

थानाध्यक्ष कोईरौना श्री मनीष द् ववेदी, हे०का०श शकांत, का० हरिनन्दन कुमार, म०का० गुंजन, हे०का० (चालक) शैलेन्द्र कुमार यादव थाना कोइरौना जनपद भदोही।